

M/s Nagar Palika Parishad, New Tehri द्वारा खांडखाला, तहसील टिहरी, जिला टिहरी गढ़वाल में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 20.05.2022, समय 11.00 बजे, का कार्यवृत्त।

M/s Nagar Palika' Parishad, New Tehri द्वारा एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को जन सुनवाई हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 के अन्तर्गत गतिविधि सामन्य नगर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा (CMSWMF) 7(I) श्रेणी (B) के अन्तर्गत आच्छादित है। इस हेतु लोक सुनवाई की तिथि से नियमानुसार 30 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्र Hindustan Hindi (U.K. Edition) व Amar Ujala (Hindi Edition) में दिनांक 17.04.2022 के अंक में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के आयोजन की सूचना प्रकाशित की गयी थी। (संलग्नक-1)

जिलाधिकारी महोदय, टिहरी गढ़वाल द्वारा नामित श्री रामजी शरण शर्मा, अपर जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन दिनांक 20.05.2022 को समय 11.00 बजे, परियोजना खांडखाला, तहसील टिहरी, जिला टिहरी गढ़वाल में किया गया। लोक सुनवाई की उपस्थिति संलग्नकानुसार रही। (संलग्नक-2) इस अनुक्रम में परामर्शी संस्था M/s CEMC Pvt. Ltd, IRC, Village Nagapalli, Bhuvneshwar, Urisha द्वारा बनायी गई ₹0आई०ए० रिपोर्ट पर परियोजना प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसका सांरांश निम्नानुसार है-

1. नगर पालिका परिषद टिहरी द्वारा एकीकृत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा की स्थापना के अन्तर्गत प्रबन्धन एवं उपचार जिसकी मात्रा 14.272 टन प्रतिदिन नगरीय ठोस अपशिष्ट के उपचार हेतु प्रस्तावित है, जिसमें से 4.3 टन प्रतिदिन चम्बा से एवं 9.972 टन प्रतिदिन टिहरी से जनित होना प्रस्तावित है। जो कि 2031 तक की अनुमानित जनसंख्या-42350 हेतु प्रस्तावित है।
2. प्रस्तावित एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजना सुविधा से निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश से दूरी 55 किमी व निकटतम हवाई अडडे जौलीग्रांट 80 किमी है निकटतम शहर नई टिहरी स्थल से 5 किमी एवं निकटम पर्यटन स्थल टिहरी जल विद्युत परियोजना क्षेत्र है।
3. प्रस्तावित एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजना हेतु TOR पत्रांक संख्या-F.No. 228/SEAC दिनांक 15.07.2021 को जारी किया गया। प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल 32550 वर्गमीटर है। प्रस्ताविक परियोजना तहसील टिहरी, ग्राम खांडखाला, खसरा संख्या-3660, 3661, 3697 एवं 3698, जिला टिहरी गढ़वाल का कुल क्षेत्रफल 32550 वर्गमीटर है। परियोजना की कुल लागत ₹0 6.69 करोड़ है।
4. प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की उक्त परियोजना पर्यावरणीय प्रभाग अधिसूचना 2006 एवं अनुगामी संशोधनों के अनुसार यह प्रस्तावित परियोजना गतिविधि सामन्य नगर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा (CMSWMF) 7(I) श्रेणी (B) में वर्गीकृत की गई है।
5. प्रस्तावित परियोजना में निर्माण के दौरान कुल जल खपत 6.0 के०एल०डी० एवं संचालन के दौरान 5.0 के०एल०डी० होगी, जिसकी आपूर्ति जल संस्थान टिहरी के द्वारा की जायेगी।

6. ई0आई0ए0 रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि एककीकृत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा परियोजना स्थल खांडखाला, तहसील टिहरी से आबादी की दूरी (Kuthha Village) 01 किमी⁰ की दूरी पर स्थित है। जबकि आबादी से दूरी का मानक 500 मीटर है। Googel Earth पर परियोजना स्थल खांडखाला, तहसील टिहरी से नजदीकी आबादी 500 मीटर से कम दूरी पर पायी गई। (फोटोग्राफ संलग्न)

प्रस्तुतीकरण के बाद अध्यक्ष महोदय द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय से उनके सुझाव एवं आपत्तियां लिखित एवं मौखिक रूप से आमन्त्रित किये जाने हेतु कहा गया तथा जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है—


1. औ0कैप्टन, सुन्दर सिंह रावत (सेवानिवृत्त) पूर्व ग्राम प्रधान, ग्रामसभा कुट्ठा, टिहरी द्वारा कहा गया कि इस परियोजना का पूर्ण विरोध करते हैं एवं पूर्व में भी सभी जनप्रतिनिधियों के समक्ष विरोध अवगत कराया गया, जिस हेतु हमारे द्वारा पत्रांक संख्या—16 दिनांक 05.09.2007 के द्वारा विरोध के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया गया। (पत्र संलग्नक—3) प्रस्तावित परियोजना हमारी कृषि भूमि एवं टिहरी जल विद्युत परियोजना तथा घृत गंगा से लगी हुई है एवं पूर्व में प्रस्तावित रथल से घृत गंगा नदी बहती थी, जिसका अस्तित्व समाप्त हो गया है। लोक सुनवाई की सूचना ग्राम सभा को नहीं दी गई। इस पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक पर्यावरण अभियन्ता के द्वारा अवगत कराया गया कि लोक सुनवाई की सूचना लोक सुनवाई की तिथि से नियमानुसार 30 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्रों हिन्दुस्तान (हिन्दी संस्करण) एवं अमर उजला (हिन्द संस्करण) के दिनांक 17.04.2022 के अंक में सूचना प्रकाशित की गई।
2. श्री भूपेन्द्र सिंह, क्षेत्र पंचायत कुट्ठा, टिहरी के द्वारा कहा गया कि लोक सुनवाई के कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी गई है व परियोजना में ग्राम सभा की सहमति नहीं ली गई है। मौजूदा समय मुकरी में जहां कूड़े का निर्स्तारण किया जा रहा है, वहां पर न कर के प्रस्तावित रथल पर क्यों किया जायेगा। हमारे द्वारा पूर्व में भी इस परियोजना का विरोध किया गया है।
3. श्री रितेश चौहान, जिला पंचायत सदस्य, बागी, टिहरी के द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित रथल पर कूड़े का निर्स्तारण न करते हुए मुकरी स्थान पर किया जाये, जहां वर्तमान में कूड़े का निर्स्तारण किया जा रहा है। साथ ही उनके द्वारा कहा गया कि टिहरी डैम के निर्माण के समय भी इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई है और वर्तमान में भी जन समुदाय की अनदेखी की जा रही है।
4. श्री जयेन्द्र, ग्राम जाख द्वारा कहा गया कि पूर्व में भी शासन/प्रशासन के समक्ष इस परियोजना का विरोध दर्ज किया गया है।
5. श्री उत्तम सिंह रावत, ग्राम कुट्ठा द्वारा कहा गया कि लोक सुनवाई की सूचना ग्राम सभा को नहीं दी गयी है। कूड़ा रथल बनने से भूमि की उर्वकता समाप्त हो जायेगी। परियोजना का पूर्ण विरोध करते हैं एवं भविष्य में टिहरी झील में कूड़ा जाने की संभावना है।


6. श्री विक्रम सिंह रावत, ग्राम कुट्ठा द्वारा कहा गया कि उपरिथित जन समुदाय परियोजना का विरोध करता है। जब वर्तमान समय में कूड़े का निस्तारण मुकरी स्थल पर किया जा रहा है, तो यहां इस परियोजना का क्या अर्थ है। उनके द्वारा कहा गया कि कि मुकरी स्थल पर कूड़ा निस्तारण केन्द्र बने।
7. श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, ग्राम कुट्ठा द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित परियोजना स्थल, टिहरी झील से दूर बनाया जाये, जिससे भविष्य में परियोजना से जनित दूषित जल का निस्तारण झील में न हो सके।
8. श्रीमती शान्ति रावत, ग्राम प्रधान कुट्ठा द्वारा कहा कि प्रस्तावित परियोजना स्थल धृत गंगा के मुहाने पर है व परियोजना से ग्रामसभा गौ-चर भूमि लगी हुई है। ग्राम सभा इस परियोजना का पूर्ण रूप विरोध करती है।
9. श्रीमती सोनाली शाह, ग्राम कुट्ठा के द्वारा कहा गया कि समर्त ग्रामसभा इस परियोजना का विरोध करती है।
10. श्री भगत सिंह रावत, ग्राम कट्ठा द्वारा कहा गया कि धृत गंगा इसी क्षेत्र में बहती थी। नई टिहरी बनाने पर चार स्थानों पर कूड़ा निस्तारण केन्द्र बनाने की योजना थी, उसका अस्तित्व कहां है। ग्राम सभा इस परियोजना का विरोध करती है।

तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा जन सामान्य को पुनः अपनी बात लिखित व मौखिक रूप से रखने को कहा गया। इसके पश्चात् अन्त में परियोजना के पक्ष व विपक्ष में मतदान की कार्यवाही की घोषणा की गई, परियोजना के पक्ष में मतदान शून्य रहा, जिसमें ज्यादातर लोगों द्वारा परियोजना के विरोध में मतदान दर्ज किया गया। उपरोक्त जन समुदाय की लिखित रूप में आपत्ति ((1) श्री औ०कैप्टन, सुन्दर सिंह रावत (सेवानिवृत्त) पूर्व ग्राम प्रधान, ग्रामसभा कुट्ठा, टिहरी (2) समर्त ग्रामवासी ग्राम कुट्ठा) एवं सुझावों को कार्यवृत्त में सम्मिलित किया गया तथा जन सुनवाई की फोटोग्राफी एवं वीडियो रिकॉर्डिंग करायी गयी। अन्त में अध्यक्ष महोदय के द्वारा धन्यवाद के साथ लोक सुनवाई का समापन किया गया।

संलग्नक—

1. फोटो— 03 प्रतियां
2. डी०वी०डी०— 03 प्रतियां
3. उपरिथित पंजिका— 03 प्रतियां


 (राकेश कण्डारी)
 सहा०पर्या०अभियन्ता
 यू०फ०पी०सी०बी०, देहरादून


 (रामजी शरण शर्मा)
 अपर जिलाधिकारी
 टिहरी गढ़वाल

Date: 20.5.22
Page No.

प्राचीन विद्या के लिए उत्तम संस्कृत विद्यालय
प्राचीन विद्या के लिए उत्तम संस्कृत विद्यालय
प्राचीन विद्या के लिए उत्तम संस्कृत विद्यालय
प्राचीन विद्या के लिए उत्तम संस्कृत विद्यालय


लग्नाम् श्री रामानन्द
१ रामानन्द संस्कृत विद्यालय
प्राचीन विद्या के लिए उत्तम संस्कृत विद्यालय

२. रामेश अर्जुन
उत्तम संस्कृत विद्यालय
४

प्राचीन विद्या के लिए उत्तम संस्कृत विद्यालय

- (१) श्री रामेश अर्जुन कुमार रामानन्द संस्कृत विद्यालय
- (२) श्री रामेश अर्जुन (रामेश अर्जुन) विद्यालय
- (३) श्री रामेश अर्जुन (रामेश अर्जुन) विद्यालय
- (४) श्री रामेश अर्जुन (रामेश अर्जुन) विद्यालय
- (५) श्री रामेश अर्जुन (रामेश अर्जुन) विद्यालय
- (६) श्री रामेश अर्जुन

संस्कृत विद्यालय
का विरोध है।



संस्कृत विद्यालय

श्री रामेश अर्जुन

8.	मुरी गा	कृष्ण देव गोपनीय गानका
9.	समोली शाद	श्रीदुर्विवेष
(10)	मधु हेव	"
(11)	मोला देव	"
(12)	मंजरी रावत	"
13.	चिरपूर्वी	जगना १९८५ दूरवाला
14	मनीषी राजे राजे	जगना १९८५ दूरवाला
15	सानी कुमार	२२ २२ १७
16	दुर्विवाह कृष्ण	"
17	रुषाल देव देव	मुख्य अभियान दूरवाला
18	रुद्रेश शाद	दूरवाला
19		
20.		

20.6.22